दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय सुरक्षित: 27.09.2022</u>

<u>निर्णय उद्घोषित: 08.12.2022</u>

\+ **<u>जमानत आवेदन 2409/2022 और आप.वि.(जमानत) 957/2022</u>**

संजय पांडे ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अखिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आदित्य वाधवा, श्री सिद्धार्थ सुनील, श्री शिवांश अग्रवाल, श्री प्रणय मोहन, सुश्री सान्या कुमार एवं श्री रणबीर सिंह अधिवक्तागण |

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय ...प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस.वी.राजू, अति. सो.ज. के साथ श्री जोहेब हुसैन, श्री विवेक गुरनानी, श्री अंकित भाटिया अधिवक्तागण के साथ श्री सुशांत, ईओ, प्र.नि.

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री जसमीत सिंह

<u>निर्णय</u>

<u>न्या.,जसमीत सिंह</u>

1. सीबीआई/ईओ-III/दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी आरसी संख्या 2212022E0030 के आधार पर पंजीकृत ईसीआईआर/डीएलजेडओ-I/28/2022 में नियमित जमानत पर प्रार्थी को छोड़ने के लिए यह ज़मानत अर्जी 2409/2022 दायर की गई है।

2. यह कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 19.05.2022 और 20.05.2022 को मैसर्स आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और प्रार्थी श्री संजय पांडे तथा

(i) श्रीमती संतोष पांडे

(ii) श्री आनंद नारायण

(iii) श्री अरमान पांडे

(iv) श्री मनीष मित्तल

(v) श्री नमन चतुर्वेदी

(vi) श्री रवि वाराणसी

(vii) श्री महेश हल्दीपुर

(viii) श्री रवि नारायण

(ix) सुश्री चित्रा रामकृष्ण

(x) श्री अरुण कुमार सिंह

(xi) अन्य अज्ञात व्यक्ति।

के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (इसके बाद 'सीबीआई' के रूप में संदर्भित) को दो पत्र भेजे।

3. यह कहा गया है कि आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अन्य अभियुक्तों के साथ साजिश रचकर 2009 से 2017 के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (इसके बाद एनएसई के रूप में संदर्भित किया गया है) में एमटीएनएल लाइनों को अवैध रूप से बाधित किया और विभिन्न एनएसई अधिकारियों की कॉल रिकॉर्ड की गई। इन कॉलों की प्रतिलिपि आईएसईसी द्वारा एनएसई के अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। एनएसई के बाहर किसी अन्य फोन लाइन

की कथित तौर पर रिकॉर्डिंग या निगरानी नहीं की गई। यह भी कहा गया है कि आईएसईसी द्वारा टेलीफोन की निगरानी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित अनुमति लिए बिना की गई थी एवं यह एनएसई के कर्मचारियों की जानकारी और सहमति के बिना भी किया गया था। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2009 से 2017 के बीच किए गए कार्य के लिए, ISEC को NSE द्वारा 4.54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्राथमिकी संख्या आरसी 2212022ई0030 दिनांक 07.07.2022 भारतीय दंड संहिता, 1860 (“आईपीसी”) की धारा 120-बी सहपठित धारा 409 और 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") की धारा 69बी, 72, 72ए और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 ("टेलीग्राफ अधिनियम") की धाराएं 20, 21, 24 और 26 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 3 और 6 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ("पीसी अधिनियम") की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत पीएस - ईओ-III, सीबीआई, दिल्ली में दर्ज की गई।

4. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 11.07.2022 को अनुसूचित अपराधों के आरोपों पर ईसीआईआर संख्या ईसीआईआर/डीएलजेडओ-1/28/2022 दर्ज की है। प्राथमिकी के बाद सीबीआई ने आईएसईसी के कार्यालय परिसरों में तलाशी ली और विभिन्न वस्तुओं और संपत्तियों को जब्त किया। सीबीआई ने

प्रार्थी की तलाशी ली और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.07.2022 को प्रार्थी को गिरफ्तार किया जबकि सीबीआई ने 24.09.2022 को प्रार्थी को गिरफ्तार किया।

5. प्रार्थी का कहना है कि 2009 में या उसके आसपास एनएसई ने आईएसईसी से एनएसई द्वारा अपने कर्मचारियों की रिकॉर्डिंग की जा रही कॉलों के विश्लेषण के लिए उसकी सेवाएँ लेने के अनुरोध के साथ संपर्क किया था। आईएसईसी के अनुसार, एनएसई 1997 से अपने परिसर में लगी लैंडलाइन से कॉल की निगरानी कर रहा था। प्रस्ताव के अनुसार, एनएसई को अपने कर्मचारियों के पहले से रिकॉर्ड किए गए कॉल डेटा को एक हार्ड ड्राइव में प्रदान किया जाना/करना था और आईएसईसी को साप्ताहिक आधार पर एनएसई द्वारा प्रदान किए गए डेटा को सुनना था और उसके विश्लेषण के बाद एनएसई के अधिकारियों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। कार्य के लिए आईएसईसी को पूर्व-रिकॉर्डेड कॉलों को उनकी सामग्री के आधार पर 'संदिग्ध' के रूप में चिह्नित करने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या कोई प्रणाली या प्रक्रिया संबंधित कमजोरियां थीं। यह कहा गया है कि एनएसई और उसके कर्मचारियों के पास उपलब्ध सूचना बहुत महत्वपूर्ण, संवेदनशील है और इसके दुरुपयोग की काफी संभावना है। संवेदनशील सूचनाओं के किसी भी तरह के लीक होने से अंदरूनी या अनुचित व्यापार हो सकता है, जिससे लोग अवैध मुनाफा कमा सकते हैं और आम जनता तथा निवेशकों को हानि पहुँचा सकता

है|

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अखिल सिब्बल ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक मूलभूत भ्रांति है। प्राथमिकी इस तथ्य पर आधारित है कि कॉल की रिकॉर्डिंग में आईएसईसी के साथ-साथ प्रार्थी की कार्रवाई अवैध है। उन्होंने कहा कि एनएसई को उनके और उनके परिसर में लैंडलाइन पर की गई बातचीत को रिकॉर्ड करने से रोकने के लिए कानून में कोई मनाही नहीं है। उन्होंने कहा कि आईएसईसी का कोई ग़लत इरादा नहीं है क्योंकि 2009 से पहले एनएसई द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि 2009 में आईएसईसी की सेवाओं का उपयोग कॉलों की निगरानी और विश्लेषण की पहले से मौजूद व्यवस्था के लिए किया गया था। प्रार्थी ने विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुबंध किया, जिसमें आईएसईसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिस पर प्रार्थी ने विधिवत कर का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि यह कोई प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है और एनएसई 1997 से ऐसा कर रहा है। श्री सिब्बल ने मुझे इस संबंध में श्री महेश हल्दीपुर और सुश्री सुगुना पप्पैया के बयान से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ लगाई गई धाराओं में से कोई भी घटक इसे संज्ञेय अपराध नहीं बनाता है। विभिन्न आरोप धाराओं के संबंध में श्री सिब्बल का निवेदन इस प्रकार हैः

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 इस प्रकार हैः

"5. लाइसेंस प्राप्त टेलीग्राफ को अपने कब्जे में लेने और संदेशों

के अवरोधन का आदेश देने की सरकार की शक्ति।- *(1) किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी, यदि संतुष्ट हो कि यह आवश्यक या समीचीन है ऐसा करने के लिए, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित, रखरखाव या काम करने वाले किसी भी टेलीग्राफ का अस्थायी कब्ज़ा (जब तक सार्वजनिक आपातकाल मौजूद है या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता है) ले सकता है।*

(2) किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी, यदि संतुष्ट हो कि यह आवश्यक या समीचीन है ऐसा करने के लिए भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अपराध के लिए उकसाने से रोकने के लिए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा, निर्देश दें कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी टेलीग्राफ द्वारा प्रेषित या प्राप्त किए गए किसी विशेष विषय से संबंधित कोई भी संदेश या संदेशों का वर्ग प्रसारित नहीं किया जाएगा, या इंटरसेप्ट या हिरासत में लिया जाएगा, या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में उल्लिखित उसके किसी अधिकारी को प्रकट किया जाएगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों को तब तक रोका या रोका नहीं जाएगा जब तक कि इस उप-धारा के तहत उनके प्रसारण को प्रतिबंधित नहीं कर दिया गया हो।"

7. श्री सिब्बल ने कहा कि धारा 5 केवल सरकार पर लागू होती है और यह उपभोक्ता द्वारा उसके फोन कॉल रिकॉर्ड करने पर लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में जो लाइन्स रिकॉर्ड की गई हैं, वे एनएसई की हैं और उपभोक्ता के खिलाफ धारा 5 के तहत कोई मनाही नहीं है।

8. उन्होंने कहा कि टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार एनएसई के कर्मचारियों की कार्यस्थल पर, एनएसई को प्रदान की गई फोन लाइनों पर एनएसई द्वारा फोन कॉल की रिकॉर्डिंग करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, क्यूंकि:

(i) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 3 (1) (एए) के तहत परिभाषित रिकॉर्डिंग डिवाइस 'टेलीग्राफ' नहीं होता है क्यूंकि स्वयं उक्त डिवाइस में प्रेषण/प्राप्ति की कोई क्षमता नहीं होती।

(ii) यदि प्रत्येक कॉल रिकॉर्डिंग उपकरण एक टेलीग्राफ है, क्योंकि यह ध्वनि रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है, तो इसके हास्यास्पद परिणाम होंगे, जिसमें ध्वनि या छवियों को रिकॉर्ड करने में सक्षम प्रत्येक रिकॉर्डिंग उपकरण, जैसे कि पेन-ड्राइव, कैमरा, रिकॉर्ड करने योग्य कॉम्पैक्ट डिस्क, व्यक्तिगत कंप्यूटर आदि सभी टेलीग्राफ की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, जिसके लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

(iii) प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अभियोजन शिकायत में यह दावा करना चाहा है कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत अनुमति के

अभाव में ऐसी रिकॉर्डिंग अवैध थी। यह निवेदन पूरी तरह से गलत है, जैसा कि टेलीग्राफ अधिनियम के नियम की धारा 5 सहपठित धारा 419 ए के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है,

यह सबमिशन पूरी तरह से गलत है, जैसा कि टेलीग्राफ एक्ट के नियम 419ए के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 5 के नंगे अवलोकन से स्पष्ट है, जो एक ऐसी विधि निर्धारित करता है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार या राज्य सरकार तीसरे पक्ष के संचार को केवल "सार्वजनिक आपातकाल" अथवा " सार्वजनिक सुरक्षा के हित में" रोक सकती है। उक्त प्रावधान राज्य द्वारा तीसरे पक्ष के संचार के अवरोधन के लिए विशिष्ट है। लाइसेंसिंग योजना में आंतरिक फोन की निगरानी के लिए रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाली किसी निजी संस्था की परिकल्पना नहीं की गई है। प्रवर्तन निदेशालय के निवेदन की असत्यता विशेष दिशा-निर्देशों या नियमों के रूप में किसी भी ठोस तथ्य को पेश करने में उसकी विफलता से स्पष्ट होती है, जो यह दर्शाती हो कि लाइसेंसिंग व्यवस्था में इस तरह के लाइसेंस की परिकल्पना की गई है और इसे प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

(iv) यह निवेदन किया गया है कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20, जो टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव या काम करने के कार्य को

दंडित करती है, को वर्तमान मामले के तथ्यों के मद्देनज़र लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रार्थी का उपकरण टेलीग्राफ नहीं है।

(v) उन्होंने या भी कहा कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध को आकर्षित नहीं होता क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किसी भी संदेश को भेजने या प्राप्त करने के लिए किसी भी टेलीग्राफ का उपयोग नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अगर यह धारा लागू होती है, तो एनएसई में रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करने वाली कॉमटेल और नेक्सस, और कॉल रिकॉर्डिंग उपकरण और सेवा के सभी समान विक्रेता भी उक्त अपराध के दोषी होंगे।

(vi) टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 24 किसी भी संदेश की सामग्री को जानने के इरादे से धारा 23 के उल्लंघन का दंड देती है। बदले में धारा 23 सिग्नल रूम या टेलीग्राफ कार्यालय (भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 2 (टीटी) के तहत परिभाषित) में घुसपैठ पर रोक लगाती है। बेशक, इस तरह के किसी भी टेलीग्राफ कार्यालय पर घुसपैठ नहीं की गई है, और इस तरह यह प्रावधान पूरी तरह से अनुपयुक्त है।

(vii) धारा 26 दंडात्मक परिणामों को निर्धारित करके, टेलीग्राफ अधिकारी या "आधिकारिक कर्तव्यों" वाले व्यक्ति के कार्यों को विनियमित करने का प्रयास करती है। इस मामले में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, और इसलिए यह धारा भी लागू नहीं होती।

(viii) सीबीआई की उक्त प्राथमिकी से टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध उत्पन्न नहीं होती और यह अनुसूचित अपराध नहीं है। इस दृष्टिकोण की असत्यता आर. एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 1 एस. सी. सी. 471 में माननीय उच्चतम न्यायालय के ***निर्णय के पैरा 20 से स्पष्ट है जिसमें अन्य बातों के*** साथ-साथ यह टिपण्णी करते हुए माना गया था कि जहां उपकरण [उसमें एक टेलीफोन] का स्वामी इसे रिकॉर्ड किए जाने के लिए सहमति देता है, वहां टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि धारा अनुसार इससे अपेक्षित अवरोधन नहीं होता।

9. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आईएसईसी का उपकरण टेलीग्राफ नहीं है। इसे विभिन्न विक्रेताओं द्वारा खुले बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। उपकरण बेचने वाले विक्रेताओं पर कोई मनाही नहीं है।

10. श्री सिब्बल ने कहा कि आईटी अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित कारणों से पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं:

(i) आईटी अधिनियम (पीएमएलए अनुसूचित अपराध) की धारा 72 केवल आईटी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत 'प्रदत्त किसी भी शक्ति' अनुसार कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए गलत काम को दंडित करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत प्रदत्त

शक्तियों में से कोई भी | उक्त प्राथमिकी में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि या तो ISEC या NSE या आवेदक IT अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार, आईटी अधिनियम की धारा 72 लागू नहीं होती।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72 ए लागू नहीं होगी क्योंकि एकत्र की गई सूचना व्यक्तिगत सूचना नहीं थी, बल्कि एनएसई के आंतरिक कामकाज से संबंधित थी। सच में एनएसई में केवल काम के टेलीफोन की निगरानी की जा रही थी, और इस प्रकार व्यक्तिगत या व्यक्तिगत/संवेदनशील प्रकृति से संबंधित किसी भी जानकारी का दुरुपयोग होने की कोई बात नहीं है। किसी भी स्थिति में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि इस तरह की जानकारी का उपयोग गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने या गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए किया गया था। धारा 72-ए जमानतीयी और असंज्ञेय अपराध है और वैसे भी प्रार्थी के पास लाइन के मालिक अर्थात एनएसई की सहमति थी।

11. जहां तक पीसी अधिनियम का संबंध है, श्री सिब्बल का निवेदन हैं कि अनुबंध एनएसई के साथ है। उनका कहना है कि अगर यह मान भी लिया जाए कि एनएसई और प्रार्थी के बीच अनुबंध गैरकानूनी है, तब भी इसमें कोई गलत उद्देश्य या इरादा नहीं है।

12. उन्होंने कहा कि पीसी एक्ट (पीएमएलए अनुसूचित अपराध) की धारा 13(1)(डी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(2) को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि रिश्वत देने या लेने या अवैध परितोषण देने का कोई आरोप नहीं है। न ही यह 'आपराधिक कदाचार' का मामला है। यह मामला एनएसई का है, जो एक निजी कंपनी है, जिसने सेवा प्रदान करने के लिए आईएसईसी को नियुक्त किया था। ऐसी सेवाओं की प्राप्ति के बदले भुगतान किया गया था। अभियोजन का तर्क यह नहीं है कि अनुबंध आईएसईसी को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए किया गया था। न ही अभियोजन की यह दलील है कि ऐसी सेवाओं की प्राप्ति के लिए बढ़ा-चढ़ाकर राशि का भुगतान किया गया था। प्रदान की गई सेवाओं के लिए संविदात्मक मुआवजा, अधिक राशि के बिना, पीसी अधिनियम के हिसाब से कोई आर्थिक लाभ नहीं हो सकता।

13. उनका कहना है कि भा.दं.सं. के प्रावधान निम्नलिखित कारणों से लागू नहीं होते:

(i) IPC की धारा 420 (PMLA अनुसूचित अपराध) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होती क्योंकि इस अपराध में कोई भी सामग्री सौंपने के लिए गलत प्रलोभन [या धोखे] का पाया जाना आवश्यक होता है। धारा 415 के तहत 'धोखाधड़ी' की परिभाषा में भा.दं.सं. की धारा 24 और धारा 25 के तहत 'बेईमानी से या फर्जीवाड़ा से' की भाषा का उपयोग किया गया है, **जिसके लिए आवश्यक रूप से**

गलत नुकसान या गलत लाभ या धोखाधड़ी करने के इरादा के लिए एक बेईमान इरादे की आवश्यकता होती है। लेकिन, वर्तमान मामले में, पूरा कार्य, एनएसई द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत और आईएसईसी को प्रदान किए गए प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार सख्ती से निष्पादित किया गया था। "धोखाधड़ी" के अपराध के लिए आवश्यक घटक नहीं बनते क्योंकि ISEC केवल NSE के साथ किए गए एक वाणिज्यिक अनुबंध को क्रियान्वित कर रहा था।

इसके अलावा, गलत लाभ तो दूर की बात, किसी को कोई गलत नुकसान भी नहीं हुआ है।

(ii) प्रवर्तन निदेशालय ऐसी जानकारी की प्रकृति को दिखाने में विफल रहा है जिसे गलत नुकसान या गलत लाभ के लिए साझा या दुरुपयोग किया गया था, या दुरुपयोग करने का इरादा था। इसके अलावा, ऐसे "ग्राहकों" ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है और न ही उन्हें शिकायत में गवाह बनाया गया है।

(iii) उनका कहना है कि आईपीसी की धारा 409 को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 409 का कोई भी घटक इस प्राथमिकी में पूरी नहीं होती। उक्त प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से कहीं भी यह साबित नहीं होता कि संपत्ति पर प्रभुत्व या नियंत्रण आवेदक द्वारा लोक सेवक होने की हैसियत से हासिल किया गया था।

(iv) वह यह भी कहते हैं कि यह मान भी लिया जाये कि कॉल रिकॉर्डिंग आईपीसी की धारा 409 के अर्थ के भीतर "संपत्ति" है, तब भी यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि ऐसी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया था। यह तथ्य है कि मेसर्स आईएसईसी को एनएसई द्वारा केवल ऐसे कॉल डेटा प्रदान किए गए थे, इसका विश्लेषण करके विधिवत एनएसई को वापस कर दिया गया था। इस प्रकार, किसी भी परिस्थिति में यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को आईपीसी की धारा 409 के तहत "संपत्ति" मान लेने से भी, मैसर्स आईएसईसी द्वारा उनका दुरुपयोग किया गया था।

(v) उनका कहना है कि आईपीसी की धारा 120-बी के तहत, कोई अवैध कार्य नहीं हुआ है और यह मान भी लिया जाये कि कोई अवैध कार्य हुआ, तब भी कोई साजिश नहीं है क्योंकि विभिन्न अभियुक्तों के बीच आपसी सहममति नहीं हुई है।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि पीएमएलए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि उक्त प्राथमिकी में आरोपित कोई भी अपराध (पीएमएलए के अनुसार बहुत कम अनुसूचित अपराध) नहीं बनता है। ऐसी परिस्थितियों में, किसी भी "अपराध से अर्जित आय" के अस्तित्व पर जोर देने का कोई कारण नहीं है, तदनुसार, धारा 3 के अर्थ के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं किया गया है।

15. उन्होंने मेरा ध्यान सेबी के परिपत्रों की ओर आकर्षित किया, जिसमें स्वयं ब्रोकर और ग्राहक के बीच फोन रिकॉर्डिंग रखने का उल्लेख है। परिपत्र का प्रभावी भाग निम्नानुसार है:

"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

परिपत्र

सीआईआर/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी2/सीआईआर/पी/2017/108

26 सितंबर, 2017

सेवा में

सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज,

प्रिय सर/मैडम,

<u>विषय: स्टॉक ब्रोकरों द्वारा अनधिकृत व्यापार की रोकथाम</u>

I. सेबी ने अतीत में आवधिक चालू खाता निपटान, एक्सचेंजों/डिपॉजिटरीज द्वारा लेनदेन के पश्चात एसएमएस/ईमेल, ब्रोकर/डीपी वेबसाइटों पर टिकर आदि जैसे अनधिकृत व्यापार के खतरे से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह देखा गया कि उपायों के बावजूद, निवेशकों की शिकायतों का एक बड़े हिस्से का स्वरुप "अनधिकृत व्यापार" है।

II. कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों में वर्तमान नियामक आवश्यकताओं के लिए यह आवश्यक है कि 'सदस्य, ग्राहक द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने

का साक्ष्य रखने के बाद ही ग्राहकों के व्यापार को निष्पादित करेंगे; यह, अन्य बातों के साथ-साथ, साउंड रिकॉर्डिंग के रूप में भी हो सकता है।" इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

III. अनधिकृत व्यापार के खिलाफ विनियामक प्रावधानों को और मजबूत करने तथा बाजारों में आवश्यकताओं को सुसंगत बनाने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी ब्रोकर, ग्राहक के ऐसे आदेश देने के साक्ष्य को रखने के बाद ही ग्राहकों के व्यापार को निष्पादित करेंगे। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में हो सकता है:

a. ग्राहक द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित भौतिक रिकॉर्ड,

b. टेलीफोन रिकॉर्डिंग,

c. अधिकृत ईमेल आईडी से ई-मेल,

d. इंटरनेट लेन-देन बा ब्यौरा,

e. एसएमएस संदेशों का रिकॉर्ड,

f. कोई अन्य कानूनी रूप से सत्यापित/ सत्यापन योग्य रिकॉर्ड।

जब विवाद उत्पन्न हो, तो सबूत का बोझ दलाल पर होगा कि वह विवादित व्यापार के लिए उपरोक्त रिकॉर्ड प्रस्तुत करे।

IV. इसके अलावा, जहां भी ग्राहकों से टेलीफोन के माध्यम से ऑर्डर

निर्देश प्राप्त होते हैं, स्टॉक ब्रोकर निर्देशों को रिकॉर्ड करने के लिए अनिवार्य रूप से टेलीफोन रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग करेगा और टेलीफोन रिकॉर्डिंग को अपने रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में संभालकर रखेगा।

V. यह परिपत्र 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा।

VI. स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित के लिए निर्देशित किया जाता है:

a. इस परिपत्र के प्रावधानों को स्टॉक ब्रोकरों के संज्ञान में लाना और उन्हें अपनी वेबसाइटों पर प्रसारित करना।

b. दृष्टिकोण में एकरूपता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के समन्वय के साथ उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक उप-नियमों, नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करना।

c. इस परिपत्र के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अपनी मासिक विकास रिपोर्टों में सेबी को सूचित करना ।

VII. यह परिपत्र प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

आपका विश्वासी,,

देबाशीष बंदोपाध्याय,

महाप्रबंधक”

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

परिपत्र

सीआईआर/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी2/सीआईआर/पी/2017/124

30 नवंबर, 2017

सेवा में
सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक

एक्सचेंज

प्रिय सर/महोदया,

<u>विषय: स्टॉक ब्रोकरों द्वारा अनधिकृत व्यापार की रोकथाम पर परिपत्र का स्पष्टीकरण</u>

1. *सेबी ने 26 सितंबर, 2017 के परिपत्र संख्या सीआईआर/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी2/सीआईआर/पी/2017/108 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट किया है कि ब्रोकर ग्राहकों के ऐसे आदेश देने के साक्ष्य को रखने के बाद ही ग्राहकों के व्यापार को निष्पादित करेंगे। इसके अलावा, सेबी ने ग्राहकों के निर्देशों को रिकॉर्ड करने के लिए टेलीफोन रिकॉर्डिंग प्रणाली का उपयोग करना और टेलीफोन से ग्राहकों की ओर से आदेश प्राप्त होने पर टेलीफोन रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है।*

2. *इसके बाद, सेबी को स्टॉक ब्रोकर्स और उनके संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स को होने वाली परिचालन कठिनाइयों को व्यक्त किया गया है। तदनुसार, स्टॉक ब्रोकरों को होने वाली परिचालन संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है।*

   i. *ब्रोकरों को उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3 में निर्दिष्ट रिकॉर्ड को न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिसके लिए मध्यस्थता, निवेशक की शिकायतों को समय-समय पर अधिसूचना अनुसार स्वीकार करती है,* जिसकी अवधि वर्तमान में *तीन साल की है। लेकिन जिन मामलों में विवाद उत्पन्न हुआ है, ऐसे रिकॉर्ड विवाद के अंतिम समाधान तक रखे जाएंगे।*

   ii. *यदि सेबी चाहता है कि विशिष्ट रिकॉर्ड को संरक्षित किया जाए तो ऐसे रिकॉर्ड को सेबी द्वारा अगली सूचना तक रखा जाएगा।*

   iii. *उपर्युक्त सेबी परिपत्र में यह भी कहा गया है कि जब विवाद उत्पन्न हो, तो सबूत का बोझ दलाल पर होगा कि वह विवादित व्यापार के लिए उपर्युक्त रिकॉर्ड प्रस्तुत करे। लेकिन, तकनीकी विफलता आदि जैसे असाधारण मामलों*

में जहां ब्रोकर साक्ष्य संबंधित आदेश पेश करने में विफल रहता है, तो ब्रोकर उन कारणों को न्यायसंगत सिद्ध करेगा और उसके गुण-दोष के आधार पर, अन्य उपयुक्त साक्ष्य जैसे कि क्लाइंट द्वारा पोस्ट ट्रेड कन्फर्मेशन, विवादित व्यापार के संबंध में क्लाइंट द्वारा निधियों/प्रतिभूतियों की प्राप्ति/भुगतान आदि पर भी विचार किया जाएगा।

3. *स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित के लिए निर्देशित किया जाता है:*

   a. *इस परिपत्र के प्रावधानों को स्टॉक ब्रोकर्स के ध्यान में लाएं और उन्हें अपनी वेबसाइटों पर भी प्रसारित करें।*

   b. *उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक उपनियमों, नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करें।*

   c. *सेबी को अपनी मासिक विकास रिपोर्टों में इस परिपत्र के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सूचित करें।*

4. *यह परिपत्र प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और*

विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

आपका विश्वासी,

देबाशीष बंदोपाध्याय,

महाप्रबंधक"

16. श्री सिब्बल जोर देने के लिए जीएन वर्मा बनाम झारखंड राज्य और एवं एक अन्य, (2014) 4 एससीसी 282 पर भी भरोसा करते हैं कि दंड विधियों के निर्माण का नियम कहता है कि यदि दो संभव और उचित अर्थ दांडिक प्रावधान पर रखे जा सकते हैं, तो न्यायालय को उस अर्थ की ओर झुकना चाहिए जो दंड देने के बजाय व्यक्ति को दंड से छूट देता है। ***जी. एन.*** वर्मा (उपर्युक्त) का प्रासंगिक भाग निम्न प्रकार हैः

"24. *डब्ल्यूएच किंग बनाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया में संविधान पीठ के फैसले से शुरू होने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा कानून अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि जब कोई क़ानून अपराध सृजित करता है और जुर्माना एवं कारावास की सजा देता है, तो धारा के शब्दों को पूरी तरह से व्यक्ति के पक्ष*

में समझा जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण पिछले साठ वर्षों से अधिक समय से इस न्यायालय द्वारा लगातार अपनाया जा रहा है।"

17. इसके विपरीत, विद्वान एएसजी श्री राजू कहते हैं कि प्राथमिकी और अभियोजन शिकायत के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि एनएसई में साइबर कमजोरियों के अध्ययन की आड़ में, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत बिना किसी अनुमोदन के टेलीफोन टैपिंग के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी। एनएसई के कर्मचारियों के फोन कॉल उनकी सहमति या जानकारी के बिना अवैध रूप से टैप किए गए। याचिकाकर्ता द्वारा कॉल सेंटरों की तुलना भ्रामक है क्योंकि कॉल सेंटरों में उचित प्रकटीकरण होता है और कॉल की निगरानी और रिकॉर्डिंग से पहले सहमति ली जाती है जो इस मामले में नहीं है।

18. उन्होंने कहा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 3 (1एए) में टेलीग्राफ की परिभाषा दी गई है, जिससे पता चलता है कि टेलीग्राफ का अर्थ कोई भी ऐसा उपकरण है, जो सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम हो। आईएसईसी द्वारा स्थापित इस उपकरण से वॉयस लॉगिंग प्रणाली से जुड़े सभी प्राइमरी रेट इंटरफेस (पीआरआई) लाइनों की सभी आने- जाने वाली कॉलों को रिकॉर्ड किया गया। जांच से पता चला है कि सेवा प्रदाता की ओर से आने वाली पीआरआई

लाइनें एक स्प्लिटर की मदद से दो हिस्सों में बंट गई थीं। इन दो लाइनों में से एक लाइन ईपीबीएएक्स पर गई और दूसरी वॉयस लॉगिंग सिस्टम पर गई। इसलिए, टैपिंग, एमटीएनएल से आने वाली पीआरआई लाइन के स्तर पर ईपीबीएएक्स में प्रवेश करने वाली लाइन से पहले की गई थी जो धारा 25(बी) के अलावा, टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20 सहपठित धारा 4 के अनुसार टेलीग्राफ अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

19. अभियोजन की शिकायत के अनुसार, प्रार्थी के खिलाफ आरोप निम्न प्रकार हैं:-

आरोप का नाम	**2. <u>संजय पांडे</u>**
मामले में भूमिका	*जांच के आधार पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह स्पष्ट है कि संजय पांडे 2009 से 2017 की अवधि के दौरान आईएसइसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। भले ही उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि कंपनी में उनकी भूमिका केवल एक सलाहकार और मार्गदर्शन की थी, लेकिन, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों द्वारा सिद्ध तथ्यात्मक स्थिति और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दिए गए विभिन्न व्यक्तियों के बयान उनके दावों को गलत साबित करते हैं। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि वह कंपनी के सभी मामलों में गहराई से और पूरी तरह शामिल थे,*

	जिसमें एनएसई कर्मचारियों की टेलीफोन कॉल की निगरानी/अवरोधन/रिकॉर्डिंग और "साइबर खतरों का आवधिक अध्ययन" के रूप में इसका नामकरण शामिल है। सभी कर्मचारी उन्हें नियमित रूप से कंपनी के मामलों के बारे में जानकारी दे रहे थे और वह उनसे अपडेट मांग रहे थे और तथाकथित साइबर खतरों के अध्ययन सहित कंपनी के विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए निर्देश भी जारी कर रहे थे। उन्होंने ही कंपनी की ओर से श्री रवि नारायण और सुश्री चित्रा रामकृष्ण के साथ एनएसई कर्मचारियों के टेलीफोन कॉल की निगरानी/अवरोधन/रिकॉर्डिंग और इसे साइबर खतरे का अध्ययन करार देने के निर्णय के संबंध में चर्चा में भाग लिया था। दिनांक 03.06.2009 का कार्य आदेश उनको भेजा गया था। *हालांकि शुरू में उन्होंने यह कहकर जांच को गुमराह करने की कोशिश की कि एनएसई द्वारा कंपनी को कॉल रिकॉर्डिंग प्रदान की गई थी, लेकिन, निरंतर पूछताछ पर, उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त कॉल रिकॉर्डिंग को कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पुनर्प्राप्त किया गया था, जिसे स्टोरेज मीडिया में कॉपी किया गया था, कंपनी के कार्यालय में ले जाकर कर्मचारियों की एक*

	टीम द्वारा सुनने के बाद उन्हें संदिग्ध कॉल के रूप में अलग किया गया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संदिग्ध समझी गई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि तैयार की गई थी और स्टोरेज मीडिया में संदिग्ध कॉल रिकॉर्डिंग के साथ एक रिपोर्ट समय-समय पर एनएसई को सौंपी गई थी। ई-मेल संदेशों से यह भी साबित होता है कि 2009 से 2012 के बीच कॉलों की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली का रखरखाव कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, उनके द्वारा नंबरों को हूक जाता था, उनके द्वारा पोर्ट्स की निगरानी की जाती थी और नियमित रूप से कॉल रिकॉर्डिंग को केवल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही लिया जाता था। संजय पांडेय नियमित रूप से इस कार्य की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने कॉल निगरानी रिपोर्ट भी तैयार करके एनएसई को भेजी थी। उन्होंने इस बारे में ईमेल न भेजने और इसके बजाय उनके फोन पर बात करने के निर्देश भी जारी किए थे।

	यह भी एक प्रमाणित तथ्य है कि 2012 में आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त अवैध गतिविधि के लिए एक नई और बेहतर प्रणाली की खरीद की थी। संजय पांडे नेक्सस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से उक्त उत्पाद और हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की लागत को अंतिम रूप देने में भी शामिल थे। यह प्रणाली कंपनी द्वारा एनएसई परिसर में स्थापित की गई थी जिसे इसके कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता था। *akhtar.inamdar@nexsussolutions.com से naman@ichek.info पर दिनांक 1.09.212 के ई-मेल की सामग्री स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि यह उत्पाद के अनुकूलन के लिए आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और नेक्सस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच तय किया गया था, जो एनएसई में तैनात कंपनी के कर्मचारी को यह चुनने में सक्षम करेगा कि कौन सी लाइनें रिकॉर्ड की जाएंगी और कौन सी नहीं होंगी और एनएसई के उच्च अधिकारियों को यह भी दिखाएगा कि कौन सी लाइनें रिकॉर्ड की जा रही हैं और कौन सी पूरी तरह से सुरक्षित हैं।* *2012-13 में संक्षिप्त अवधि के दौरान, जब*

	कॉल मॉनिटरिंग कार्य को थोड़े समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, तो *वह नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को उक्त कार्य को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने एनएसई के कर्मचारियों के टेलीफोन कॉल की निगरानी/इंटरसेप्शन/रिकॉर्डिंग सहित एनएसई के साथ कंपनी के कारोबार के शीर्ष अधिकारियों सहित एनएसई के कर्मचारियों के साथ नियमित बैठकें कीं। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी के दैनिक मामलों में शामिल नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वह श्री जगदीश दलवी सहित अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कंपनी चला रहे थे, हालांकि कंपनी के रोल पर नहीं होने के बावजूद उन्होंने संजय पांडे के कहने पर कंपनी की ओर से दस्तावेजों/प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की थी। इस प्रकार, श्री संजय पांडे पीएमएलए, 2002 की धारा 3* सहपठित *धारा 70 में परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल था या जानबूझकर सहायता कर रहा था और वह वास्तव में अपराध से अर्जित आय से जुड़ी सभी या किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल था, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना,*

	प्राप्त करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल था।

20. उन्होंने कहा कि आईएसईसी और याचिकाकर्ता ने एनएसई के कुछ अधिकारियों के साथ एक आपराधिक साजिश के माध्यम से टेलीफोन लाइनों के अवरोधन की ऐसी अवैध गतिविधि के लिए 4.54 करोड़ रुपये का धोखा देने के लिए खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है। यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि एनएसई को धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रतिनिधित्व करने के कारण व्यक्ति को गलत लाभ हुआ है। इस संबंध में तुलसीराम आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1963 एससी 666, पैरा 17 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

> *"**17.** किंतु, **भा.दं.सं.** सं. की धारा 420 के अंतर्गत अपराध में आवश्यक रूप से आर्थिक प्रश्न उठता है। भा.दं.सं. की धारा 464 के पहले भाग में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को झूठा दस्तावेज बनाना कहा जाता है जो बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी विशेष इरादे से एक दस्तावेज बनाकर हस्ताक्षर आदि करता है जिसमें बेईमान और धोखाधड़ी वाले दोनों कार्यों शामिल हैं। जहां कोई आर्थिक प्रश्न नहीं उठता है वहां बेईमानी के तत्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है और यह स्थापित करना पर्याप्त होगा कि यह कार्य कपटपूर्ण था और, इसलिए, यह हो सकता है, जैसा कि माननीय न्यायाधीश ने माना है, कि जहां कोई कार्य कपटपूर्ण है, तो छल किए गए व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा स्थापित होना चाहिए। लेकिन जहां आरोप यह*

है कि किसी व्यक्ति ने बेईमानी से दूसरे को संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया है, उस पर कुछ अलग विचार किया जाना चाहिए और वह यह है कि क्या उसने उस व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाया है जिसने संपत्ति को छोड़ दिया है या खुद को गलत लाभ पहुंचाया है। ये बेईमानी की परिभाषा के दो पहलू हैं और उनमें से एक का अस्तित्व स्थापित करना पर्याप्त है। कानून यह नहीं कहता है कि दोनों को स्थापित किया जाये। अतः विद्वान अधिवक्ता जिस निर्णय पर भरोसा किया है, वह स्पष्ट है। तब विद्वान अधिवक्ता ने कटामराजु वेंकटरायुडु बनाम सम्राट में सुब्रह्मण्यम अय्यर, जे के असहमतिपूर्ण निर्णय का हवाला दिया कि धारा 465 और 461 के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में यह स्थापित करना होगा कि धोखे में व्यक्ति और जनता को कुछ नुकसान या नुकसान का जोखिम शामिल है और यह दिखाना पर्याप्त नहीं था कि धोखे का इरादा धोखा दिए गए व्यक्ति को लाभ पहुँचाना था। यह निर्णय और साथ ही विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित कुछ अन्य निर्णय उसी कारण से भिन्न हैं जो संजीव रतनप्पा रोनाड के मामले को हमारे समक्ष मौजूद मामले से अलग करता है। इसलिए हमारा विचार है कि धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध हो चुका है।"

21. उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है, क्योंकि यह धारा 69बी (2) सहपठित उप-धारा 4 का उल्लंघन है, क्योंकि आईएसईसी एक अधिकृत एजेंसी नहीं है, जिसे ट्राफिक डेटा या सूचना को प्रेषित या प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 72 का भी उल्लंघन किया गया है क्योंकि एनएसई के अधिकारियों ने आईएसईसी के साथ मिलकर संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना जानकारी

हासिल करने की कोशिश की और एनएसई के उच्च अधिकारियों को इस तरह की जानकारी दी।

22. उन्होंने कहा कि प्रार्थी के प्रत्युत्तर में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि 2012-17 की अवधि के दौरान टेलीफोन ट्रंक लाइनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी और कॉल रिकॉर्डिंग स्प्लिटर का उपयोग करके एलएएन केबल से की जा रही थी। हालांकि, ईडी के पास उपलब्ध साक्ष्य प्रार्थी द्वारा किए गए कथित दावे की असत्यता को दर्शाते हैं। दिनांक 26.08.2022 के अपने वक्तव्य में श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने दिनांक 26.05.2022 के अपने पूर्व वक्तव्य की विषयवस्तु को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था:-

> प्रश्न *6. आपके द्वारा आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आपूर्ति किए गए और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में एनएसई कार्यालय में स्थापित इस उपकरण का कार्य क्या है?*
>
> *उत्तर 6. यह वॉयस लॉगिंग सिस्टम से जुड़ी सभी प्राइमरी रेट इंटरफेस (पीआरआई) लाइनों की सभी आने-जाने वाली कॉल को रिकॉर्ड करता है।*
>
> *क्यू 7. ये पीआरआई लाइनें किस तरह वॉयस लॉगिंग सिस्टम से जुड़ी थीं?*
>
> *उत्तर 7. सेवा प्रदाता से आने वाली पीआरआई लाइनों को एक स्प्लिटर*

की मदद से दो लाइनों में विभाजित किया गया था। इन दो लाइनों में से एक लाइन एनएसई की ईपीएबीएक्स प्रणाली में गई थी जबकि दूसरी लाइन वॉयस लॉगिंग प्रणाली में गई थी।"

23. उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पीआरआई लाइनों को एक विभाजक की मदद से दो लाइनों में विभाजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी कंपनी और आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए संचार की प्रतियां भी प्रदान की थीं, जो उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि करती हैं।

24. वह आगे कहता है कि अब तक एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, यह देखा गया है कि प्रार्थी एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अपराध से अर्जित आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है या वास्तव में इसमें शामिल है या जानबूझकर सहायता की है जिसमें उसका अधिग्रहण, उपयोग और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना शामिल है। इस प्रकार, पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित धन-शोधन का अपराध किया है।

25. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा मामले की जांच से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में प्रार्थी की भूमिका का पता चला है। उक्त प्रार्थी के खिलाफ कब्जे में लिए गए साक्ष्य और तथ्य के आधार पर, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता

है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है। अपराध से अर्जित आय का और अभियुक्त व्यक्ति (गण) के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। इसलिए, उनका कहना है कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त तथ्य है कि पीएमएलए के 45 के तहत किसी संतुष्टि तक नहीं पहुंचा जा सकता।

26. उनक कहना है कि इस तर्क में कोई दम नहीं कि वर्तमान मामले में अनुसूचित अपराध जमानतीय और असंज्ञेय हैं, क्योंकि धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929 के पैरा 406*** में निम्नानुसार माना किया है:

> *"406. यह जोर दिया गया कि किसी विशेष मामले में अनुसूचित अपराध गैर-संज्ञेय अपराध हो सकता है और फिर भी 2002 अधिनियम की धारा 45 की कठोरता के परिणामस्वरूप ऐसे अभियुक्त को भी जमानत से वंचित रहेंगे। यह तर्क 2002 अधिनियम की कल्पना की स्पष्ट गलतफहमी पर आधारित है। जैसा कि हमने इस निर्णय के पहले भाग में बार-बार उल्लेख किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध वह है जिसमें कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध से अर्जित आय से संबंधित किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है। इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि*

अपराध से अर्जित आय एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, जो संयोगवश एक गैर-संज्ञेय अपराध है। 2002 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके उस व्यक्ति पर अनुसूचित अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता है, लेकिन केवल तब जब उसने अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति प्राप्त की हो और फिर अपराध से अर्जित ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल हो। यह कहना पर्याप्त होगा कि विचाराधीन तर्क पूरी तरह से गलत है और इसे खारिज करने की आवश्यकता है।"

<u>विश्लेषणः-</u>

27. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

28. वर्तमान मामले में प्राथमिकी और अभियोजन शिकायत इस आरोप पर आधारित है कि आईएसईसी ने 2009 और 2017 के बीच एनएसई में एमटीएनएल की लाइनों को अवैध रूप से बाधित किया और एनएसई के विभिन्न अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड किए। सीबीआई का आरोप है कि आईएसईसी इस तरह की कॉलों की निगरानी और विश्लेषण कर रहा था और एनएसई को समय-समय पर रिपोर्ट भेज रहा था। यह आरोप लगाया गया है कि ये कार्य आधारभूत अनुसूचित अपराधों होते हैं। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएसईसी द्वारा सृजित 4.54 करोड़ रुपये का राजस्व, अपराध से अर्जित आय है और इसलिए पीएमएलए की धारा 4 के

तहत मनी लॉन्ड्रिंग के दंडनीय अपराध का आरोप लगाया है।

29. आईएसईसी मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा परामर्श के व्यापार में शामिल है, जिसमें ऑडिट करना, नीति डिजाइन तैयार करना और साइबर सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना शामिल है।

30. वर्ष 2009 में एनएसई ने आईएसईसी के साथ एक अनुबंध किया था। इस अनुबंध के तहत आईएसईसी का अधिकार, डेटा का विश्लेषण करना और एनएसई के भीतर साइबर खतरों की जांच करना था। एनएसई और आईएसईसी के बीच सहमत प्रबंध के अनुसार, एनएसई आईएसईसी को एक हार्ड ड्राइव (साप्ताहिक आधार पर) प्रदान करेगा, जिसमें पूर्व-रिकॉर्डेड कॉल डेटा था जिसका आईएसईसी को विश्लेषण करना था। आईएसईसी अपना विश्लेषण समाप्त करेगा और एनएसई को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करेगा। आईएसईसी डेटा, सूचना सुरक्षा, साइबर और प्रक्रिया जोखिमों के मुद्दे पर असर डालने वाली संदिग्ध कॉलों की पहचान करेगा और उन्हें अलग करेगा। 2012 तक, इस तरह की कॉल-रिकॉर्डिंग किसी मैसर्स कॉमटेल द्वारा स्थापित प्रणाली के माध्यम से होती थी। इसके बाद, वर्ष 2012 से, किसी नेक्सस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ("नेक्सस") द्वारा स्थापित सेट-अप का उपयोग करके ऐसी कॉल-रिकॉर्डिंग की गई।

31. मेरा प्रथमदृष्टया *मानना है* कि बिना सहमति के फोन लाइनों को टैप करना या कॉल रिकॉर्ड करना निजता का हनन है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

निहित निजता का अधिकार मांग करता है कि फोन कॉल्स रिकॉर्ड न किए जाएं। केवल संबंधित व्यक्तियों की सहमति से ही ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया जा सकता है अन्यथा यह निजता के मौलिक अधिकार का हनन होगा।

32. के. एस. पुट्टस्वामी बनाम ***भारत संघ (2017) 10 एस. सी. सी. 1 के*** मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक व्यक्ति के निजता के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किया। यह अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में सक्षम होने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिहार्य और संबद्ध है। *शीर्ष अदालत ने माना कि निजता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने के अधिकार का एक सहवर्ती हिस्सा है। इसका उद्गम इस धारणा से होता है कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो मानव के लिए स्वाभाविक होते हैं या उसमें अंतर्निहित होते हैं। प्राकृतिक अधिकार अपरिहार्य हैं क्योंकि उन्हें मानव व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। जीवन में मानव तत्व की कल्पना प्राकृतिक अधिकारों के* अस्तित्व के बिना असंभव है। 'उच्चतम न्यायालय ने सूचनात्मक निजता की सुरक्षा के संबंध में निजता के अधिकार और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बनाए रखने के अधिकार पर भी चर्चा की। अदालत ने कहा कि कानून में डेटा संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों को विनियमित करने का प्रावधान होना चाहिए जो राज्य को डेटा के अवरोधन की अनुमति दे।

33. पुट्टास्वामी (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत

स्वतंत्रता के अधिकार के मूलभूत भाग के रूप में निजता के अधिकार को मान्यता देते हुए यह भी कहा कि अधिकार सम्पूर्ण नहीं है लेकिन प्रतिबंध की अनुमति दी गई है जहां प्रतिबंध कानून द्वारा प्रदान किया गया है, जो राज्य के एक वैध उद्देश्य के अनुरूप है और उस उद्देश्य के लिए आनुपातिक और आवश्यक है जिसे उसने प्राप्त करने का प्रयास किया है।

34. मैंने रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं अर्थात सीआरएल एमसी 3763/2022 और सीआरएल एमसी 3766/2022 में सीबीआई द्वारा दायर दिनांक 14.09.2022 की स्थिति रिपोर्ट को देखा है, जिसके पैरा 8.1 में यह कहा गया है कि मैसर्स आईएसईसी ने अवैध मशीनों को स्थापित करके, अवैध रूप से एनएसई के कर्मचारियों के फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया जो टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन है। मैं प्रथम दृष्टया टेलीग्राफ अधिनियम के उल्लंघनकारी कृत्यों से सहमत हूं, लेकिन, टेलीग्राफ अधिनियम के तहत आने वाले अपराध पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध नहीं हैं।

35. वर्तमान मामले में, आईएसईसी द्वारा फोन लाइनों की रिकॉर्डिंग या टैपिंग राज्य की कार्रवाई नहीं थी। निजता के पहलुओं में व्यक्ति के शरीर के साथ छेड़छाड़ न करने, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और व्यक्तिगत पसंद पर स्वायत्तता का अधिकार शामिल है। जब फोन लाइनों की रिकॉर्डिंग की बात आती है तो सहमती आवश्यक है, जिसे एनएसई और आईएसईसी दोनों द्वारा नजरअंदाज किया गया था। लेकिन यह पहलू मुझे आगे नहीं रोक सकता क्योंकि

वर्तमान अर्जी में, मैं केवल प्रार्थी की जमानत अर्जी पर विचार कर रहा हूँ न कि रद्द करने वाली याचिका पर।

36. इस मामले में एनएसई को बातचीत रिकॉर्ड करने का अधिकार है क्योंकि सेबी ने ब्रोकरों को अन्य बातों के साथ-साथ टेलीफोन रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के बाद ही व्यापार करने का अधिकार दिया है। यह सेबी के ऊपर वर्णित परिपत्रों दिनांक 26.09.2017 और 30.11.2017 में विधिवत पाया गया है। इसलिए, एक ओर, परिपत्रों में विवादों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से कॉल रिकॉर्ड करने का अधिकार दिया गया है, जबकि दूसरी ओर, परिपत्रों के अनुपालन के कारण मुकदमा चलाया जाता है।

37. प्रार्थी के खिलाफ अनुसूचित अपराध निम्नलिखित हैं:

अधिनियम	**खंड**	**दंड**	**संज्ञेय**	**जमानतीय**
आईटी अधिनियम	धारा 72	2 वर्ष और/या जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय
भा.दं.सं.	धारा 420	1 वर्ष (न्यूनतम) से 7 वर्ष (अधिकतम) और जुर्माना ।	संज्ञेय	गैर जमानती

भा.दं.सं.	धारा 120-बी	6 महीने और/या जुर्माना	संज्ञेय	गैर जमानती
पीसी अधिनियम	धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (घ)	1 वर्ष (न्यूनतम) से 7 वर्ष (अधिकतम) और जुर्माना|	संज्ञेय	गैर जमानती

38. वर्तमान जमानत अर्जी पर निर्णय के उद्देश्य से, मुझे केवल प्राथमिकी में अनुसूचित अपराधों को देखना है। अन्य अपराध इस जमानत अर्जी के लिए प्रासंगिक नहीं और ये रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विषय होंगे जिन पर अभी बहस होनी है।

39. आईटी अधिनियम की धारा 72 इस प्रकार हैः

> "**72. गोपनीयता *और निजता के उल्लंघन के लिए दंड***
>
> *इस अधिनियम या अस्थायी रूप से लागू किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में, संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री तक पहुंच प्राप्त करके उन्हें किसी*

अन्य व्यक्ति को बताता है तो उसे दो साल तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

40. धारा 72 के शासनादेश की 3 आवश्यकताएं हैं:- 1. अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदान की जाएँ। 2. इन शक्तियों के अनुसरण में, व्यक्ति को संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री तक पहुंच हो और 3. इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री का उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकटीकरण हो।

41. आईटी अधिनियम की धारा 72 में गोपनीयता और निजता के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आईटी अधिनियम की धारा 72 की भाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह केवल आईटी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत "प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में" कार्य करने वाले व्यक्तियों को दंडित करती है। वर्तमान मामले में, पीएमएलए के तहत अभियोजन इस तथ्य पर आधारित प्रतीत होता है कि एनएसई कर्मचारियों की टेलीफोन लाइनों को टैप करके, आवेदक ने उस व्यक्ति की सहमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त की है और यह दंडनीय है। लेकिन, आईटी अधिनियम की धारा 72 में प्रमुख शब्द बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य

सामग्री तक पहुंच हासिल करने वाले व्यक्ति को अधिनियम या नियमों और विनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में होना चाहिए।

42. प्रार्थी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास अधिनियम (या इसके अनुसरण में कार्य कर रहा था) या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत प्रदत्त कोई शक्तियां हैं। आईएसईसी, एनएसई के साथ संविदात्मक दायित्वों के अनुसार बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में आईटी अधिनियम की धारा 72 को लागू नहीं किया जा सकता।

43. आईटी अधिनियम की धारा 72 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि पहली बात तो यह कि, प्रार्थी या आईएसईसी को आईटी अधिनियम या उसमें बनाए गए नियमों और विनियमों के संदर्भ में कभी भी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी और दूसरी बात यह कि, प्राथमिकी या अभियोजन शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रार्थी या आईएसईसी आईटी अधिनियम या उसमें बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में कार्य कर रहा था।

44. संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना फोन कॉल की टैपिंग और रिकॉर्डिंग करने पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया जा सकता है, लेकिन उक्त कानूनों के तहत अपराध अनुसूचित अपराध नहीं हैं। दूसरी ओर, आईटी अधिनियम की धारा 72 का प्रयोग केवल गोपनीयता और निजिता के उल्लंघन

तक सीमित है, जो अपराध नहीं है।

45. जहां तक भा.दं.सं. के तहत अपराधों का संबंध है, मेरी राय है *कि प्रथमदृष्टया* कथित अपराधों के घटक वर्तमान मामले में नहीं बनते।

46. भा.दं.सं. की धारा 120ख सहपठित धारा 409 और 420 के तहत अनुसूचित अपराध साबित नहीं होते। एनएसई और आईएसईसी दोनों ही जानते थे कि समझौते का अभिप्राय क्या है और अनुबंध करने वाले पक्षों के दायित्व शुरू से ही स्पष्ट थे। आईएसईसी ने एनएसई को पैसे देने के लिए न तो प्रेरित किया और न ही धोखा दिया। भा.दं.सं. की धारा 409 इस प्रकार हैः

> *"लोक* ***सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात। कोई भी व्यक्ति, जो किसी लोक सेवक की हैसियत से संपति को किसी भी तरीके से सौंपे जाने पर अथवा संपत्ति पर कोई नियंत्रण सौंपे जाने पर****, या एक बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के रूप में, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने भी होगा।"*

47. भा.दं.सं. की धारा 409 के तहत आपराधिक विशवासघात के अपराध के लिए, निम्नलिखित तत्वों पूरे होने चाहियें:

a. संपत्ति का हस्तांतरण
b. उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या स्वयं के उपयोग के लिए परिवर्तन या बेईमानी से या बिक्री;
c. इस तरह के हस्तांतरण/दुरुपयोग को किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक की हैसियत से या बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल, अटॉर्नी या एजेंट के रूप में अपने व्यापार के माध्यम से किया जाना चाहिए।

48. अभियोजन पक्ष के मुक़दमे में लगाए गए आरोपों से कहीं भी यह साबित नहीं होता कि संपत्ति पर प्रार्थी द्वारा लोक सेवक के रूप में अधिकार या नियंत्रण हासिल किया गया था।

49. भा.दं.सं. की धारा 409 का वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि आपराधिक विश्वासघात के अपराध के आवश्यक घटक के रूप में (भा.दं.सं. की धारा 405/403 में परिभाषित) स्वयं के उपयोग के लिए "बेईमानी दुरूपयोग/परिवर्तन" है। इस बात का कोई आरोप नहीं है कि (क) कॉल मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करने के अलावा पहले से रिकॉर्ड की गई कॉल के डेटा का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था और (ख) एनएसई द्वारा

आईएसईसी को भुगतान की गई सभी राशियां एक अनुबंध के तहत विधिवत प्रदान की गई सेवाओं के लिए थीं, और इस प्रकार इस तरह की राशि के भुगतान "गबन" या "गबन" नहीं किया गया है और इसे "गबन" नहीं कहा जा सकता।

50. अभियोजन पक्ष का मामला भा.दं.सं. की धारा 405 में परिभाषित आपराधिक विश्वासघात के घटकों को संतुष्ट करने में विफल रहा है, क्योंकि इसमें संपत्ति के किसी भी दुरूपयोग के बारे में कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला इस बारे में भी पूरी तरह से मौन है कि आईएसईसी या प्रार्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है।

51. भा.दं.सं. की धारा 420 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः

> "420. ***छल करना और बेईमानी से संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना*** *"जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा दे और उसे बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति देने, या किसी बहुमूल्य वस्तु या उसके एक हिस्से को, या कोई भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद दस्तावेज़ जो एक बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित होने में सक्षम है में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है को किसी एक अवधि के*

लिए कारावास की सजा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।"

52. प्रोफेसर आरके विजयसारथी बनाम सुधा सीताराम (2019) 16 एससीसी 739 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित भा.दं.सं. की धारा 420 के आवश्यक घटक निम्नानुसार हैं:

"19। धारा 420 के तहत अपराध के घटक इस प्रकार हैं:

19.1.i) किसी व्यक्ति ने धारा 415 के तहत धोखाधड़ी का अपराध किया हो; और

19.2.ii) ठगे गए व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित किया जाये कि।

(a) किसी व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करना. या

(b) मूल्यवान प्रतिभूति या ऐसी किसी वस्तु को बनाना, परिवर्तित करना या नष्ट करना जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों या जिस पर मुहर लगाई गई हो और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके।

20. धारा 420 के तहत अपराध गठित करने के लिए धोखाधड़ी एक आवश्यक घटक है।"

53. वी. वाई. जोस एवं ***एक अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य*** (2009) 3

एस. सी. सी. 78 ***के मामले में उच्चतम*** न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 420 और विशेष रूप से पैराग्राफ 14 के तहत अपराध का निर्धारण करने के लिए पूर्व-आवश्यकताओं पर टिपण्णी की, जो निम्नानुसार है:

> *"14. धोखाधड़ी के अपराध को साबित नहीं किया जा सकता जब तक कि निम्नलिखित घटक पूरे न हों:-*
>
> *(i) किसी व्यक्ति को या तो गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या अन्य कार्रवाई करके या चूक करके धोखा देना;*
>
> *(ii) कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को देने के लिए प्रेरित करना या यह सहमति देना कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखेगा और अंत में उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करना या उसका लोप करना जो कुछ नहीं करेगा या नहीं करेगा।*
>
> *धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता को यह दिखाना आवश्यक है कि प्रतिनिधित्व का वादा करते समय अभियुक्त का धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा था। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां अभियुक्त द्वारा अपना वादा पूरा करने में विफल रहने के संबंध में आरोप लगाए जाते हैं, आरंभिक वादा करते समय दोषपूर्ण इरादे के अभाव में, दंड संहिता की धारा 420 के तहत कोई अपराध का साबित होना*

नहीं कहा जा सकता।

54. भा.दं.सं. की धारा 420 (जो पीएमएलए अनुसूचित अपराध है) के लिए प्राथमिक घटक किसी भी संपत्ति को सौंपने के लिए बेईमानी से प्रलोभन या धोखा है। आईपीसी की धारा 415 के तहत धोखा "बेईमानी या धोखाधड़ी" वाक्यांश पर जोर देता है, जिसका अर्थ है कि धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के लिए, गलत हानि या गलत लाभ या धोखाधड़ी करने का इरादा होना चाहिए। वर्तमान मामले में, आईएसईसी और एनएसई के बीच अनुबंध के आधार पर एक व्यापार समझौता था जिसके तहत पूरा कार्य निष्पादित किया जा रहा था।

55. गलत तरीके से नुकसान उठाने वाले पीड़ित की पहचान पर पूरा अभियोजन खामोश है। अभियोजन पक्ष की शिकायत में किस व्यक्ति को नामज़द नहीं किया गया है जिसेके साथ छल या धोखाधड़ी हुई हो। किसी ऐसे व्यक्ति को नामज़द नहीं किया गया है जिसे गलत नुकसान हुआ है और गलत क्या नुकसान हुआ है। विभिन्न ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामूली दावे को छोड़कर, शिकायत ग्राहकों के नाम और उनके साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पूरी तरह से खामोश है।

56. यह आरोप लगाया गया है कि 'ग्राहकों' को धोखा दिया गया था क्योंकि उन्होंने केवल इस धारणा के तहत 'जानकारी' साझा की थी कि इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हालांकि, ईडी ऐसी जानकारी स्वरुप को दिखाने में विफल रहा है

जिसे कोई गलत नुकसान या गलत लाभ पहुंचाने के लिए साझा किया गया था या दुरुपयोग किया गया था या दुरुपयोग करने का इरादा था। इसके अलावा, किसी भी "ग्राहक" ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है या (किसी भी ग्राहक को) शिकायत में गवाह नहीं बनाया गया है।

57. भा.दं.सं. की धारा 120बी निम्नानुसार हैः

> आपराधिक ***षड्यंत्र का दंड।- -***
>
> *(1) जो कोई मृत्यु, [आजीवन कारावास] या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, जहां ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उसे उसी रीति से दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध को दुष्प्रेरित किया हो।*
>
> *(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में हसामिल हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"*

58. भा.दं.सं. की धारा 120-बी (जो पीएमएलए अनुसूचित अपराध भी है) के तहत

भी अपराध नहीं बनता, क्योंकि आपराधिक मंशा यानी भा.दं.सं. की धारा 120-ए के तहत परिभाषित किसी अवैध कार्य करने का समझौता स्थापित नहीं होता। रिकॉर्ड किए गए कॉल का विश्लेषण करने के लिए आईएसईसी के सामने आने से पहले, एनएसई 1997 से मैसर्स कॉमटेल जैसे अन्य विक्रेताओं के माध्यम से कॉल-रिकॉर्डिंग में शामिल रहा है। चूंकि आईएसईसी के आगमन से पहले कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही थी, इसलिए आईएसईसी और एनएसई के बीच अवैध कार्य करने अर्थात् कॉल रिकॉर्डिंग के इरादे से कोई आपराधिक साजिश नहीं हुई है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में आपराधिक मंशा का तत्व साबित नहीं होता और भा.दं.सं. की धारा 120बी, सहपठित धारा 409 और 420 के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं होता।

59. इसके अलावा, भले ही भा.दं.सं. की धारा 120बी पीएमएलए के तहत अपने आप में एक अनुसूचित अपराध है, वर्तमान मामले में, अभियोजन शिकायत के पैरा 3 में कहा गया है कि भा.दं.सं. की धारा 420 के साथ 120B सहपठित है।

> ***"3. पीएमएलए के तहत शामिल अपराध/आरोप/चार्ज/राशि के संक्षिप्त तथ्यः***
>
> *क.* यह *कि प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली जोन-I में एफ.सं. ईसीआईआर/डीएलजेडओ-I/28/2022 द्वारा पीएमएलए के तहत एक जांच शुरू की गई थी और दिल्ली जोन-I में जांच की जा रही है।*

आईपीसी 1860 की धारा 120बी, सहपठित धारा 409 और 420, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20, 21, 24 और 26, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 3 और 6, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), 13(1) (घ) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69बी, 72 और 72ए के तहत मैसर्स आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बी-1/1810, वसंत कुंज, नई दिल्ली, सुश्री संतोष पांडे, निदेशक, आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री आनंद नारायण, निदेशक, आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री अरमान पांडे, पूर्व निदेशक , ISEC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री मनीष मित्तल, पूर्व-निदेशक, ISEC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री संजय पांडे, पूर्व-निदेशक, ISEC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री नमन चतुर्वेदी, वरिष्ठ सूचना सुरक्षा विश्लेषक, ISEC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री रवि वाराणसी, तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष, एनएसई, मुंबई, श्री महेश हल्दीपुर, तत्कालीन प्रमुख (परिसर), एनएसई, मुंबई, श्री रवि नारायण, तत्कालीन एमडी, एनएसई, मुंबई, सुश्री चित्रा रामकृष्ण, तत्कालीन डीएमडी, एनएसई, मुंबई, श्री अरुण

कुमार सिंह, ISEC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अज्ञात व्यक्ति। के खिलाफ आरसी2212022ई0030 दिनांक 07.07.2022 के माध्यम से विधेय अपराध का एलईए मामला ईओ-III, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली के पास जांच लंबित है।

60. प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल 07.09.2022 के जवाब में, निम्नानुसार कहा गया हैः

"*भा.दं.सं., 1860 की धारा 120बी, सहपठित धारा 409 और 420, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20, 21, 24 और 26, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 3 और 6, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), 13(1) (घ) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69बी, 72 और 72ए के तहत अन्य बातों के साथ-साथ दंडनीय अपराधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेसर्स आईएसईसी प्राइवेट लिमिटेड और श्री संजय पांडे सहित अन्य आरोपी, एनएसई कर्मचारियों के टेलीफोन कॉलों की अवैध इंटरसेप्शन/निगरानी के लिए एफआईआर/आरसी संख्या आरसी2212022ई0030 दिनांक 07.07.2022, ईओ-III, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली में दर्ज की।*

61. ईडी द्वारा दिनांक 20.07.2022 को दायर रिमांड आवेदन में धारा 120बी को 420 आईपीसी के साथ होना भी शामिल है। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> "2. *भा.दं.सं., 1860 की धारा 120बी, सहपठित धारा 409 और 420, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20, 21, 24 और 26, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 3 और 6, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), 13(1) (घ) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69बी, 72 और 72ए के तहत अन्य बातों के साथ-साथ दंडनीय अपराधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेसर्स आईएसईसी प्राइवेट लिमिटेड और श्री संजय पांडे सहित अन्य आरोपी, एनएसई कर्मचारियों के टेलीफोन कॉलों की अवैध इंटरसेप्शन/निगरानी के लिए एफआईआर/आरसी संख्या आरसी2212022ई0030 दिनांक 07.07.2022, ईओ-III, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली में दर्ज की।"*

62. वास्तव में, ईडी ने प्रार्थी की आगे की रिमांड अभिरक्षा की मांग करते हुए पैरा 4 के तहत कहा है कि 120बी, 420 आईपीसी सहपठित हैः

> "4. "*भा.दं.सं., 1860 की धारा 120बी, सहपठित धारा 409 और 420, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20, 21, 24 और 26, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम,*

1933 की धारा 3 और 6, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), 13(1) (घ) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69बी, 72 और 72ए के तहत अन्य बातों के साथ-साथ दंडनीय अपराधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेसर्स आईएसईसी प्राइवेट लिमिटेड और श्री संजय पांडे सहित अन्य आरोपी, एनएसई कर्मचारियों के टेलीफोन कॉलों की अवैध इंटरसेप्शन/निगरानी के लिए एफआईआर/आरसी संख्या आरसी2212022ई0030 दिनांक 07.07.2022, ईओ-III, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली में दर्ज की।"

63. इसलिए, *प्रथमदृष्टया, उपरोक्त* कारणों से, वर्तमान मामले में भा.दं.सं. की धारा 120ख सहपठित 409 और 420 के घटक साबित नहीं होते।

64. पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराध के लिए पूर्व शर्त लोक सेवक से मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की मांग या अनुरोध है। पीसी अधिनियम (पूर्व संशोधित) की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार-

(1) लोक सेवक को आपराधिक कदाचार का अपराध करने वाला कहा जाता है,

...

(घ) यदि वह,

(i) भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, या

(ii) लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है. या

(iii) लोक सेवक के पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ बिना किसी जनहित के प्राप्त करता है, या

...

(2) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता है, कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

65. ए. ***सुबैर बनाम केरल राज्य, (2009) 6 एससीसी 587 और सी.*** के. ***जाफर शरीफ बनाम राज्य (2013) 1 एससीसी 205 में। उच्चतम*** न्यायालय ने ए. सुबैर (उपर्युक्त) ***में पीसी अधिनियम*** की धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराध का

निर्धारण करने के लिए निम्नानुसार टिपण्णी करते हुए आवश्यक घटकों का उल्लेख कियाः

> "14. जहां *तक अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) का संबंध है, इसके आवश्यक घटक हैं:*
>
> - *यह कि उन्हें एक लोक सेवक होना चाहिए था*
> - *उसे भ्रष्ट या अवैध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए था या अन्यथा ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करना चाहिए था, और*
> - *यह कि उसे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए* मूल्यवान (वास्तु) या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए था।"

66. जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित 13 (1) (घ) के तहत अपराधों का संबंध है, जो पीएमएलए अनुसूचित अपराध हैं, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष के मामले में रिश्वत देने या लेने या अवैध परितोषण का कोई आरोप नहीं है। एनएसई एक निजी संस्था है, इस प्रकार पीसी अधिनियम की धारा 13 के तहत, इसके साथ आईएसईसी के संविदात्मक सौदे के दौरान यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अपराध किया गया है।

67. यह एक ऐसा मामला है जहां एनएसई, जो एक निजी कंपनी है, ने सेवा प्रदान करने के लिए आईएसईसी को नियुक्त किया था। ऐसी सेवाओं की प्राप्ति

के बदले भुगतान किया गया था। आईएसईसी ने विधिवत कर रिटर्न में राशि दिखाई और उक्त आय पर आयकर का भुगतान किया। इसलिए, मुझे याचिकाकर्ता की दलील में दम लगता है कि प्रदान की गई सेवाओं के लिए 4.54 करोड़ रुपये का संविदात्मक मुआवजा पीसी अधिनियम के संदर्भ में 'आर्थिक लाभ' नहीं हो सकता।

68. प्रार्थी को कभी भी लोक सेवक की हैसियत से कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सौंपी गई। प्रार्थी 2003 से 17.05.2006 तक आईएसईसी के निदेशक थे। इस्तीफा देने के बाद उनकी भूमिका अमुख्य और पर्यवेक्षणीय थी।

69. वर्ष 2009 में जब एनएसई ने मेसर्स आईएसईसी के साथ अनुबंध किया था, तब प्रार्थी लोक/सरकारी पद पर नहीं था। इस प्रकार, किसी भी परिस्थिति में पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध का साबित होना नहीं कहा जा सकता। बाद में आईएसईसी के सफल और संतोषजनक प्रदर्शन के कारण एनएसई ने आईएसईसी के अनुबंध को समय-समय पर सहर्ष नवीनीकृत किया।

70. दिसंबर 2011 के बाद (जब प्रार्थी को आखिरकार लोक सेवक के रूप में बहाल किया गया) उसे आईएसईसी से किराया आय प्राप्त हुई है। 2011 के बाद, प्रार्थी को आईएसईसी से कोई परिलाभ प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त भुगतान मुख्य रूप से प्रार्थी को भुगतान किए गए किराए के कारण हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थी को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला है।

71. मेरे समक्ष ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो

सके कि प्रार्थी ने अपने लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भ्रष्ट या अवैध साधन का उपयोग किया है। पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत कोई अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि धन की प्राप्ति को अवैध परितोषण मानते हुए कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

72. चूंकि आईएसईसी ने अपने दायित्वों का निर्वहन एनएसई के साथ अपने अनुबंध के अनुसार किया था और प्रार्थी ने 2009 से 2011 के बीच कोई भी लोक/सरकारी पद नहीं संभाला था, इसलिए एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

73. पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार, ज़मानत की मंजूरी के लिए दो शर्तें हैं: (i) लोक अभियोजक को ज़मानत का विरोध करने का अवसर दिया गया हो और (ii) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

74. दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए, पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के घटक निम्नलिखित हैं:

- कोई व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है, या जानबूझकर एक पार्टी है, या वास्तव में

इसमें शामिल है |

- अपराध से अर्जित आये से संबंधित किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है।

75. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विजय ***मदनलाल चौधरी (उपर्युक्त) के*** मामले में पीएमएलए की धारा 45 के तहत ज़मानत पर चर्चा करते हुए कहा कि पीएमएलए के प्रावधान तब लागू होंगे जब किसी व्यक्ति ने अनुसूचित अपराध के परिणामस्वरूप संपत्ति प्राप्त की हो और फिर ऐसी संपत्ति से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त रहा है।

76. चूंकि मैंने प्रथमदृष्टया *यह निष्कर्ष* दिया है कि अनुसूचित अपराध के कोई भी घटक साबित नहीं होते, इसलिए पीएमएलए के प्रावधान लागू नहीं होते।

77. मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में, कोई भी अनुसूचित अपराध प्रथमदृष्टया नहीं बनता, *इसके साथ ही* अपराध से अर्जित आय नहीं हो सकती जो सृजित हुई हो क्योंकि अनुसूचित अपराध से संबंधित कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है। यह दृष्टिकोण विजय मदनलाल चौधरी (उपर्युक्त) की उस उक्ति के अनुरूप है जिसमें माननीय उच्चतम ***न्यायालय ने निम्नलिखित टिपण्णी की*** हैः

> ***406****... इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपराध की आय*

किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप सृजित हुई है, जो संयोगवश एक असंज्ञेय अपराध है। 2002 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके उस व्यक्ति पर अनुसूचित अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता है, लेकिन केवल तभी जब उसने अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति अर्जित या प्राप्त की हो और फिर अपराध से अर्जित इस तरह की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त हो। यह कहना पर्याप्त होगा कि विचाराधीन तर्क पूरी तरह से गलत है और इसे खारिज करने की आवश्यकता है।"

78. चूंकि अनुसूचित अपराधों के किसी भी घटक अर्थात्, आईटी अधिनियम की धारा 72, भा.दं.सं. की धारा 120बी सहपठित धारा 409 और 420, पीसी अधिनियम की धारा 13(2) सपठित धारा 13 (1) (डी) साबित नहीं होता, अपराध से अर्जित आये के अधिग्रहण या प्रतिधारण का आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है, जिसे पीएमएलए की धारा 2 (यू) के तहत 'अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न आय' के रूप में परिभाषित किया गया है।

79. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं माना जा सकता किप्रार्थी ने अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप

संपत्ति अर्जित या प्राप्त की है।

80. विजय मदनलाल चौधरी (उपर्युक्त) पर भरोसा किया जाता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि:

> *"**388**....समतुल्य **प्रावधान** पर विचार करते हुए इस न्यायालय के एक के बाद एक फैसलों में यह कहा गया है कि ज़मानत अर्जी पर विचार करने के दौरान न्यायालय से इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करने की आशा की जाती है कि क्या अभियुक्त अपेक्षित आपराधिक मनःस्थिति से ग्रसित था।* ***अदालत को एक सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त ने अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया था। न्यायालय को दोषमुक्ति और दोषसिद्धि के निर्णय और विचारण प्रारंभ होने से बहुत पहले ज़मानत आदेश के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस स्तर पर न्यायालय का कर्तव्य साक्ष्य को बारीकी से तौलना नहीं है बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह*** *जमानत मंजूर करने के पश्चात् अदालत को अभियुक्त के अपराध करने की संभावना के बारे में एक निष्कर्ष दर्ज करना आवश्यक है, जो अधिनियम के तहत एक अपराध है।" (जोर*

दिया गया)

81. उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ज़मानत के समय, मुझे अभियुक्त के अपराध का निर्धारण नहीं करना है, बल्कि व्यापक संभावनाओं पर मामले का आकलन करना है।

82. इसलिए, जमानत पर रिहा होने पर प्रार्थी के पीएमएलए के तहत अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।

83. ईडी द्वारा एकत्र और संदर्भित तथ्य के आधार पर, ईडी ने यह साबित नहीं किया है कि प्रार्थी ने अनुसूचित अपराध के परिणामस्वरूप कोई संपत्ति अर्जित या प्राप्त की है या उस संपत्ति से संबंधित किसी गतिविधि या प्रक्रिया में लिप्त रहा है।

84. मेरा विचार है कि पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार, प्रथम दृष्टया, यह मानने के उचित आधार हैं कि प्रार्थी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। मैंने ईडी को जमानत अर्जी का विरोध करने का मौका दिया है जिससे 45 पीएमएलए के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किया जा सके।

85. दलीलों को सुनने के बाद, इस न्यायालय को माननीय ASJ द्वारा 07.11.2022 को CBI बनाम रवि नारायण, जमानत मामला संख्या 02/2022 और जमानत मामला संख्या 232/2022 में मानवीय आधार पर जमानत से अवगत

कराया गया है। उक्त मामला यहां लागू नहीं होता क्योंकि मेरे विचार से, प्रार्थी लिए मानवीय आधार पर जमानत का मामला उपलब्ध नहीं है|

86. उपरोक्त कारणों से, अर्जी मंज़ूर की जाती है और प्रार्थी को निम्नलिखित शर्तों पर जमानत दी जाती हैः

i. प्रार्थी निचली अदालत की संतुष्टि के अनुसार 1,00,000/- रुपये की राशि के निजी मुचलके के साथ दो प्रतिभू प्रस्तुत करेगा।

ii. जब भी मामला सुनवाई के लिए लिया जाएगा, प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

iii. आवेदक संबंधित जांच अधिकारी (आईओ) को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएगा, जिसे हर समय चालू हालत में रखा जाएगा। प्रार्थी जमानत की अवधि के दौरान संबंधित आईओ को पूर्व सूचना दिए बिना न तो इसे बंद करेगा और न ही इसे बदलेगा;

iv. संबंधित आईओ द्वारा बुलाए जाने पर प्रार्थी जांच में शामिल होगा;

v. यदि प्रार्थी अपना पता बदलता है, तो वह संबंधित आईओ के साथ साथ इस न्यायालय को भी सूचित करेगा;

vi. प्रार्थी जमानत अवधि के दौरान देश नहीं छोड़ेगा और

संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष रिहाई के समय अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करेगा;

vii. प्रार्थी जमानत अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा;

viii. प्रार्थी अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से संवाद नहीं करेगा या उसके संपर्क में नहीं आएगा या मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

87. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जमानत आवेदन का निपटान किया जाता है।

जसमीत सिंह न्या.

दिसंबर 8,2022/(एमएस)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*